**बिहार सरकार**

**राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता (दिव्‍यांगजन) का कार्यालय,**

**पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।**

**फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com**

**परिवाद सं0-09/2019**

**पत्रांक--............. दिनांक-........जून’19**

**प्रेषक,**

**डॉ0 शिवाजी कुमार,**

**राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता,**

 **बिहार, पटना।**

**सेवा में,**

**प्रधान सचिव,पशु एवं मत्‍स्‍य संसाधन विभाग,**

**बिहार, पटना।**

विषय :- डॉ0 प्रमोद चन्‍द्र तिवारी, पशु शल्‍य चिकित्‍सक, पटना सिटी का अपनी अविवाहित पुत्री (100 प्रतिशत शारीरिक दिव्‍यांग) की दिव्‍यांगता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक निदेशक, सामान्‍य क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पटना अथवा अवर प्रमण्‍डल पशुपालन पदाधिकारी, दानापुर में से किसी एक पद पर पदस्‍थापित किये जाने के सम्‍बन्‍ध में।

**महाशय,**

 **उपर्युक्‍त विषय के सम्‍बन्‍ध में डॉ0 प्रमोद चन्‍द्र तिवारी, पशु शल्‍य चिकित्‍सक, पटना सिटी द्वारा एक परिवाद पत्र इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। परिवादी ने समर्पित पत्र में अपनी अविवाहित पुत्री (100 प्रतिशत शारीरिक दिव्‍यांग) की दिव्‍यांगता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक निदेशक, सामान्‍य क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पटना अथवा अवर प्रमण्‍डल पशुपालन पदाधिकारी, दानापुर में से किसी एक पद पर पदस्‍थापित किये जाने का अनुरोध किया है। उक्‍त संबंध में उन्‍होंने निम्‍न तथ्‍यों का उल्‍लेख किया है :-**

**(1) परिवादी दिनांक-12.12.2004 से पशु शल्‍य चिकित्‍सक, पटना सिटी के पद पर पदस्‍थापित हैं। तदनुसार परिवादी लगभग पाँच वर्षों से उक्‍त कार्यालय में पदस्‍थापित हैं तथा इसके पूर्व भी इनका सेवा काल पटना में नहीं रहा है।**

**(2) इनकी अविवाहित पुत्री 100 प्रतिशत शारीरिक दिव्‍यांग हैं, जो अपनी नित्‍य क्रियाक्रमों के साथ-साथ अन्‍य जीवनयापन गतिविधियों के लिए परिवादी/परिवार पर पूर्ण आश्रित हैं।**

**(3) परिवादी ने उल्‍लेख किया है कि दानापुर स्थित इनके स्‍थायी आवास में दिव्‍यांग पुत्री के जीवनयापन संबंधी आवश्‍यक विशेष सुविधाओं की व्‍यवस्‍था इन्‍होंने अपने स्‍तर से की है। साथ ही वहाँ उनके इलाज व फिजियोथेरेपी की व्‍यवस्‍था भी है।**

**(4) पत्र के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, के कार्यालय ज्ञापांक सं0-42011/3/2014-स्‍था0(आरक्षण) दिनांक-06.06.2014 की प्रति संलग्‍न की गई है, जिसके कंडिका-3 में ‘’ऐसे सरकारी कर्मचारी जिसके पास एक दिव्‍यांग बच्‍चा और वही मुख्‍य रूप से दिव्‍यांग बच्‍चे की देखभाल करने वाला है’’, के स्‍थानान्‍तरण के सम्‍बन्‍ध में निदेश दिये गये हैं।**

**(5) विगत वर्ष भी परिवादी द्वारा समर्पित आवेदन के आलोक में इनके स्‍थानान्‍तरण हेतु नियमानुकूल कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।**

**उक्‍त बिन्‍दुओं के आलोक में परिवादी द्वारा समर्पित पत्र की प्रति संलग्‍न करते हुए अनुरोध है कि डॉ0 प्रमोद चन्‍द्र तिवारी, पशु शल्‍य चिकित्‍सक, पटना सिटी का अपनी अविवाहित पुत्री (100 प्रतिशत शारीरिक दिव्‍यांग) की दिव्‍यांगता को दृष्टिगत रखते हुए सहायक निदेशक, सामान्‍य क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, पटना अथवा अवर प्रमण्‍डल पशुपालन पदाधिकारी, दानापुर में से किसी एक पद पर पदस्‍थापित किये जाने के सम्‍बन्‍ध में विहित नियमों के अनुरूप सहानुभूतिपूर्वक विचार कर यथोचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा की जाय।**

**विश्‍वासभाजनह0**

**अनु0-यथोक्‍त।**

**/-**

**राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता,**

**बिहार, पटना।**

*कृ0पृ0उ0..............*

(2)

**ज्ञापांक-परिवाद सं0-09/2019-............. दिनांक-........जून’19**

प्रतिलिपि:-मुख्‍य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि विषयक मामले पर अपने स्‍तर से आवश्‍यक निदेश देने की कृपा की जाय।

ह0/-

राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता,

बिहार, पटना।

**ज्ञापांक-परिवाद सं0-09/2019-............. दिनांक-........जून’19**

प्रतिलिपि:-डॉ0 प्रमोद चन्‍द्र तिवारी, पशु शल्‍य चिकित्‍सक, पटना सिटी को उनके आवेदन दिनांक-28.05.2019 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

**ह0/-र**

**राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता,**

**बिहार, पटना।**